न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री,R.A.S.

प्रकरण संख्या – 39/2019 अपील/डूंगरपुर
पंजीयन दिनांक– 16.12.2019
निर्णय दिनांक– 22.01.2020

1– श्री लालजी पिता सेंगा भील मूल आवंटी (मृतक) के वारिसान
1/1 श्री लक्ष्ण पिता स्व. लालजी
1/2 श्री रणछोड पिता स्व. लालजी
1/3 श्री नारायण पिता स्व. लालजी के वारिसान
1/3/1 श्री बन्सी पिता स्व. नारायण
1/3/2 माया पुत्री स्व. नारायण
1/3/3 श्रीमती हुरज पत्नी स्व. नारायण
1/3/4 श्री संजय पिता स्व. नारायण भील नाबालिग वली श्रीमती हुरज
1/3/5 श्री कपिल पिता स्व. नारायण भील नाबालिग वली श्रीमती हुरज
1/4 श्री हरिश पिता स्व. लालजी
1/5 श्री प्रकाश पिता स्व. लालजी
1/6 श्री सोहन पिता स्व. लालजी
1/7 श्री राजू पिता स्व. लालजी
1/8 श्री रूपली पिता स्व. लालजी
1/9 श्री अमरी पिता स्व. लालजी
1/10 श्री बबली पिता स्व. लालजी
1/11 श्रीमती मागी बेवा स्व. लालजी
समस्त जाति भील निवासी घाटा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मुश्ताक अहमद पिता श्री अमीर खां मुसलमान निवासी पातेला तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री मोहम्मद अशफाक पिता श्री फतेह मोहम्मद छीपा, मुसलमान निवासी पातेला तहसील व जिला डूंगरपुर
3. श्री भूमिधारी जरिए तहसीलदार डूंगरपुर (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः—

श्री शैलेष भण्डारी : अधिवक्ता अपीलान्ट

श्री प्रेमपुरी गोस्वामी : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट—1956
विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर
के प्रकरण संख्या 03/2016 निर्णय दिनांक 21.12.2016

निर्णय

दिनांक : 22.01.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 03/2016 निर्णय दिनांक 21.12.2016 के विरूद्ध दिनांक 04.10.2018 को न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 9.12.2019 को दर्ज की गई। जिला डूंगरपुर से संबंधित क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानान्तरित होकर दिनांक 16.12.2019 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/ विपक्षी संख्या 1/1 से 1/11 के पिता, पति, पितामह मूल आवंटी मृतक लालजी पिता सेंगा को मौजा चक घाटा की भूमि का आवंटन खसरा नम्बर 2 में से 1.000 है. का जरिए मिसल नम्बर 8/89 दिनांक 30.05.1989 को हुआ। अपना पक्ष आवंटन की शर्तो की पालना करने से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये। रेस्पोडेन्ट/ प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा अपीलान्ट विपक्षी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा सुनवाई की जाकर मूल आवंटी अपीलान्ट का आवंटन निरस्त किया गया। अपीलान्ट को इसकी जानकारी 11.09.2018 को पटवारी द्वारा मौके पर आवंटन निरस्त बताये जाने पर होने से तत्काल दिनांक 12.09.2018 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 20.09.2018 को नकल प्राप्त हुई।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त होते ही यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को

माफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेष भण्डारी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमपुरी गोस्वामी तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। सर्वप्रथम मयाद बिन्दु पर बहस सुनी गई जिसमें अपीलार्थी ने वर्णित किया कि अपीलान्ट ग्रामीण आदिवासी व अशिक्षित काश्तकार है, अखण्डित शपथ–पत्र है, अतएव मयाद अंदर जानकारी होने से कंडोन की जाए। वहीं रेस्पोडेन्ट ने मयाद बाहर होने से अपील खारिज करने की प्रार्थना की। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया एवं निवेदन किया कि अपीलान्ट 1/1 से 1/11 के पिता, पति, पितामह मूल आवंटन मृतक लालजी पिता सेंगा भूमिहीन कृषक होन से अपीलान्ट के नाम राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत मौजा चक घाटा की भूमि का आवंटन खसरा नम्बर 2 में से 1.000 है0 का जरिए मिसल नम्बर 8/289 दिनांक 30.5.1989 को हुआ। आवंटन की शर्तो की पालना के पश्चात् गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट द्वारा मिथ्या तथ्यों को वर्णित कर आवंटन निरस्त कराने का प्रार्थना–पत्र दिया, जिस पर अपीलान्ट्स की फर्जी तामील होने से अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका तथा एकतरफा कार्यवाही से मूल आवंटी का विधि विरूद्ध आवंटन निरस्त करने के आदेश पारित हुए।

अपीलान्ट ने बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी रेस्पोडेंट ने गलत तथ्य अपील मेमो की कलम संख्या (ख) अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में वर्णित किया कि डूंगरपुर जिले के राजस्थान मे विलिनिकरण पश्चात् इसके शाशक महारावल लक्ष्मणसिंह जी द्वारा अपनी रियासत के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि बक्शीस, दान आवंटन एवं नजराना राशि लेकर दी गई थी, इसमें श्रीमती बबलीबाई जोजे शंकरलाल मेवाडा कुम्हा है, को भी रकबा 30–00 बीघा भूमि दिनांक 05.08.1964 को प्रदान करते हुए अपनी निजी भूमि भण्डारीया भीड नामक भूमि मे कब्जा सुपूर्द किया गया जो लगातार काबिज काश्त रही तथा भूमि को उन्नत बनाया। वर्ष 1988 में भूमि को प्रार्थीगण को विक्रय कर दी पर पर प्रार्थीगण काबीज है। उक्त भूमि का प्रथम बार भू–प्रबन्ध के दौरान भूमि को चक घाटा मे सम्मिलित होते हुए इसके खसरा संख्या 1 व 2 कायम रखते हुए भूमि बिलानाम अंकित हुई। प्रार्थीगण ने अपने हको की घोषणा के लिये नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो जेर

कार्यवाही है। विपक्षी संख्या मौके पर आया तथा भूमि आवंटित होना कहना लगा, इस पर तत्काल राजस्व रेकार्ड से जानकारी प्राप्त कर नकले प्राप्त की गई जिससे ज्ञात हुआ कि घाटा खसरा नम्बर 2 में से 1.0000 भूमि को अपने नाम नियम विरूद्ध आवंटित करवा ली है। अधीनस्थ न्यायालय मे एकतरफा कार्यवाही की गई है। उक्त भूमि एक्स रूलर डूंगरपुर स्टेट की पर्सनल प्रोपर्टी होने से सरकार द्वारा इसमे प्रवेश नहीं किया तथा इसकी सर्वे/पेमाईश भी नही हुई। इसकी प्रथम बार पैमाईश वर्ष 1984–85 के आसपास प्रारम्भ हुई तथा भूमि को ग्राम चक घाटा के नाम से चिन्हित करते हुए खसरा नम्बर 2 कायम किया एवं भूमि को खाते दर्ज नही करते हुए बिलानाम अंकित कर दिया जबकि यह वर्ष 1964 में महारावल लक्ष्मणसिंहजी ने बबली बाई को हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द कर इसकी सनद जारी की थी। तब से लेकर आज तक वर्ष 2016 तक करीब 52 वर्ष से काश्त काबिज बबली बाई के जरिए से प्रार्थीगण का चला आ रहा है। मौजा चक घाटा के खसरा नम्बर 2 में से विपक्षी के नाम किया गया रकबा 1.500 है. का आवंटन फ्रोड, मिस रिपजेन्टेशन एवं आउट ऑफ रूल किया जाने के कारण निरस्त योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.12.2016 मे मृतक मूल आवंटी श्री लालजी पिता सेंगा भील निवासी घाटा के विरूद्ध निर्णय पारित कर आवंटन निरस्त किया जो नियमो के अनुसार मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित आवंटन को निरस्त करने का निर्णय आदेश शुन्य है तथा मृतक के आवंटन को निरस्त करने का कोई प्रावधान आवंटन नियम, 1970 के तहत नहीं है। स्व. श्री लालजी पिता सेंगा के भूमिहीन कृषक होन से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत मौजा चक घाटा की भूमि का आवंटन खसरा नम्बर 2 में से 1.000 हैक्टेयर का जरिए मिसल नम्बर 7/89 दिनांक 30.05.1989 को हुआ। आवंटन की शर्तो की पालना होने से नियमानुसार खातेदारी अधिक मिले। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायलय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जहां फर्जी तामील होने से एकपक्षीय कार्यवाही द्वारा मूल आवंटी का आवंटन निरस्त किया गया, जो नियम विरूद्ध है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि आवंटन योग्य भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा भी हो तो वह व्यक्तिगत अतिक्रमी की श्रेणी में होकर वह भूमि आवंटन हेतु रिक्त मानी जावेगी। मूल आवंटी को वक्त आवंटन नियमानुसार भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ है। रेस्पोडेन्ट्स का तत्समय मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा है। मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त अपीलान्ट्स के पिता स्व. लालजी के 28 वर्ष पुराने आंवटन को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के प्रावधानों के तहत खातेदारी हक समाप्त नहीं किया जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर विचार किये बिना फ्रोड एवं मिस रिप्रजेन्टेशन के आधार पर अपीलान्ट के पिता का 28 वर्ष पुराना आवंटन खातेदारी अधिकार प्राप्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपीलान्ट का पुराने आवंटन को गलत मानकर आवंटन निरस्त कर भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट के पिता के नाम मौजा चकघाटा के खसरा नं. 2 मे से रकबा 1.000 हैक्टर भूमि आवंटित हुई है। डूंगरपुर राज्य के राजस्थान मे विलिनिकरण के समय इसके शासक महारावल लक्ष्मणसिंहजी द्वारा अपनी रियासत के भूमिहीन व्यक्तियों, सेवादारों, कारिगरों एवं कृपापात्रों को जीविकापार्जन हेतु अपनी निजी भूमि मे से कुछ भूमि बक्शीस, दान आवंटन एवं नजराना राशि लेकर प्रदान की गई थी, जिसका पट्टा/परवाना रियासत हाउसहोल्ड ऑफिस द्वारा जारी कर कब्जा सुपुर्द किया था। ऐसे व्यक्ति भूमि पर स्वामित्व अधिकारों सहित काश्त काबिज रहे। इन व्यक्तियों द्वारा मौके पर की गई उक्त भूमि को काफी मेहनत कर समतल किया तथा उपजाउ बनाया एवं इसकी सुरक्षा हेतु बाड लगाई एवं काश्त द्वारा अपना व परिवार का भरण कर रहे है। ऐसे लोगो में एक श्रीमती बबली बाई जोजे शंकरलाल मेवाडा कुम्हा है, को भी रकबा 30–00 बीघा भूमि दिनांक 5.8.1964 को प्रदान करते हुए निजी भूमि भण्डारिया भीड नामक भूमि मे कब्जा सुपुर्द किया गया तथा उक्त भूमि को श्रीमती बबलीबाई ने वर्ष 1988 में रेस्पोडेन्ट्स को बेच दी एवं कब्जा सुपुर्द कर दिया। तब से रेस्पोडेन्ट ही उस भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि का प्रथम बार भू–प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि को चक घाटा मे सम्मिलित करते हुए इसके खसरा संख्या 1 व 2 कायम करते हुए भूमि बिलानाम दर्ज कर दी। रेस्पोडेन्ट ने अपने हकों की घोषणा हेतु नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा है जो जेर कार्यवाही है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि गलत तथ्यों के आधार पर आवंटित करा ली थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय औचित्यपूर्ण होकर तथ्य एवं कानून सम्मत है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों/अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र धारा 5 कानून मियाद अधिनियम पर निर्णय करना उचित समझते है। मयाद बिन्दु पर उभय पक्षों को सुनने के बाद अखण्डित शपथ–पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणाधिकार ग्रहण की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की विवेचना में वर्णित किया है कि ''प्रार्थी के अभिभाषक व राजकीय पैराकार की बहस के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के अंतर्गत बने नियम कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अंतर्गत कृषि भूमि के आवंटन की प्रक्रिया व नीति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विपक्षी के बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहने, कोई अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने से यह आभास हो रहा है कि मौके पर विपक्षी काबिज नहीं चले आ रहे हैं। यह भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की होने के निर्धारण हेतु इस न्यायलय की क्षेत्राधिकारिता नहीं है, इसलिए इसके गुणावगुण पर विचार नहीं किया जाकर विपक्षी को किए गए आवंटन के नियमानुकूल होने या Fraud व Mis represantion के आधार पर किए जाने के बारे मे परीक्षण किया गया। वास्तव में आवंटन योग्य भूमि के प्रकाशन पश्चात् संबंधित ग्राम या विशेष परिस्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आवंटन करने का इन नियमों के सेक्शन 13 (4) में अनिवार्य प्रावधान प्रतिस्थापित किया है। विवेचित भूमि ग्राम चक घाटा की हैं, ग्राम पंचायत काकरादरा हैं। आवंटन इनमें न कर अन्य ग्राम पंचायत थाणा में किया गया है। यह प्रावधान राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.6(8)राज/ग्रुप–4/75 दिनांक 17.05.1976 से जोड़ा गया है। यह आवंटर 1989 में किया है जिसमें आवंटन कमेटी को इस प्रावधान की अनिवार्य रूप से पालना की जानी चाहिए थी, इस तरह मूल आवंटन नियम की अनिवार्य प्रक्रिया के विपरीत अन्य स्थान/ पंचायत पर किया आवंटन निश्चित रूप से Fraud आवंटन की श्रेणी में आता है। विधिवत आवंटन में सबसे मुल्य अनियमितता यह रही है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय में अध्यक्ष, उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बिना इस निर्णय का कोई औचित्य नहीं है। ऐसा अहस्ताक्षरित आदेश विधि की दृष्टि में शून्य ''होना अंकित करते हुए आवंटन निरस्त करने का निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, उभय पक्ष की प्लिडिंग्स व समायतशुदा बहस का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट को विधिवत आवेदन के आधार पर बाद जांच वर्ष 1989 में उक्त आवंटन किया गया है। आवंटन की पालना में जो नामान्तरकरण संख्या 8 दर्ज किया गया है, उसमें यह सुस्पष्ट है कि आवंटन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 30.05.1989 को किया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन नहीं किया गया है। पुनः नामान्तरकरण संख्या 35 दिनांक 14.07.2015 से अपीलाधीन आवंटन में खातेदारी हक दिये जाने का उल्लेख जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 से स्पष्ट होता है। यह सुस्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आवंटन अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश से रेस्पोडेन्ट के आवेदन वर्ष 2016 से करीब 27 वर्ष पूर्व किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा आवंटन किया जाना स्पष्ट करता है कि यह आवंटन किसी विशेष अभियान के तहत किया गया है, जिसमें सामान्तया आवंटन संबंधित ग्राम या पंचायत मुख्यालय के स्थान पर अन्य ग्राम में आवंटन करने की शक्तियॉ राज्य सरकार द्वारा दी जाती रही है। आवंटन आदेश पर विकास अधिकारी, प्रधान, तहसीलदार व सरपंच के हस्ताक्षर है, जो आवंटन सलाहकार समिति की सक्षमता/ कोरम के लिये पर्याप्त है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन किया ही नहीं गया है, जैसा कि नामान्तरकरण संख्या 8 से स्पष्ट है तो उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर होने की कोई वांछना नहीं है। उपखण्ड अधिकारी आवंटन सलाहकार समति क अध्यक्ष होने बाबत् संबंधित नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। उपखण्ड अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श पर किये जाने के विधिक प्रावधान है तथा उपखण्ड अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से असहमत होने पर जिला कलक्टर द्वारा निर्णय किया जाना नियमों में वर्णित है। उपखण्ड अधिकारी का आवंटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष होने का अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधिक नहीं है। यहॉ पर तो आवंटन उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं किया जाकर आवंटन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा किया जाना रेकर्ड से स्पष्ट है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन नहीं किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि आवंटन विशेष अभियान के तहत किया गया है तथा विशेष अभियान के संदर्भ में आवंटन स्थल अभियान के समय राज्य सरकार द्वारा Relax किये जाते रहे है। रेस्पोडेन्ट प्रार्थीगण स्वंय को बबलीबाई का क्रेता होना बताते है, परन्तु बबलीबाई विधिक काश्तकार हो ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यदि प्रार्थी रेस्पोडेंट काबीज थे तो उनके द्वारा आवंटन आवेदन/ आपत्ति व्यक्त क्यों नहीं की गई तथा 25 वर्षो से अधिक का विलम्ब जबकि आवंटी अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार मिल चुके है तो विधिक रूप से यह माना जाना की आवंटी काबीज होकर उसके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। यदि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट वर्तमान में काबीज भी हो तो भी अतिक्रमी का कोई Locus Standi नहीं होता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो भी तकनीकी आधार वर्णित किये गये हैं, उसमें अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 का साक्ष्य किसी भी प्रकार से फ्रोड, मिस रिप्रेजेन्टेशन अथवा धोखाधड़ी से आवंटन कराया जाना प्रमाणित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं होने हुए भी आवंटन के लगभग 25 वर्षो से अधिक समय बाद तथा खातेदारी मिल जाने के बाद विधिवत किये गये आवंटन फ्रोड एवं मिस रिप्रेजेन्टेशन के आधार पर खारिज कर दिया है, जो निसंदेह त्रुटिपूर्ण है।

अपने कथन के समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायिक नजीर आर.आर.डी. 1999 पेज 128 पेश की है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि तकनीकी आधारों पर आवंटन के 20 वर्षो बाद आवंटन निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण है।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 185 में यह वर्णित किया गया है कि आवंटन के 10 वर्षो बाद खातेदारी प्राप्त हो जाने से आवंटन तकनीकी आधारों पर निरस्त नहीं किया जा सकता है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अन्य न्यायिक नजीर आर.बी.जे. (15) 2008 पेज 435 प्रस्तुत की है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद आवंटन निरस्तीकरण सिर्फ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही किया जा सकता।

उपरोक्त सभी न्यायिक नजीरें वर्तमान प्रकरण से सुसंगत है। अपीलान्ट/ विपक्षी संख्या 1 को 25 से अधिक वर्ष पूर्व आवंटन किया गया है तथा उसे खातेदार अधिकार भी प्राप्त हो चुके है एवं आवंटन विधिवत अतिरिक्त जिला कलक्टर के आदेश से किया जाना सुस्पष्ट है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/ विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में विधिवत किये गये आवंटन को निरस्त किया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतएव अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.12.2016 अपास्त किया जाता है तथा अपीलान्ट/ विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम चक घाटा की आराजी नम्बर 2 रकबा 1.0 हैक्टर का किया गया आवंटन बहाल रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर